भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4095

18.08.2025 को उत्तर के लिए

खतरनाक अपशिष्ट का आयात

4095. श्री मलविंदर सिंह कंगः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ व्यापारी वैध अनुमति के बिना प्रतिबंधित खतरनाक अपशिष्टों का खुलेआम आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास पंजीकृत रासायनिक अपशिष्टों के आयातकों की सूची है; और

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और ऐसे दोषी आयातकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 को अधिसूचित किया है, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से खतरनाक और अन्य अपशिष्टों का सुरक्षित भंडारण, शोधन और निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त नियम अनुसूची III के भाग क में सूचीबद्ध खतरनाक अपशिष्टों के पुनर्चक्रण, रिकवरी, पुनः उपयोग और सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग हेतु आयात की भी अनुमति दी गई हैं। देश में निपटान हेतु खतरनाक अपशिष्टों के आयात की अनुमति नहीं है। उक्त नियमों की अनुसूची III के भाग क में सूचीबद्ध खतरनाक अपशिष्टों का आयात केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं को ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विधिवत अनुमति और विदेश व्यापार महानिदेशालय के लाइसेंस, जैसा भी लागू हो, के अनुसार करने की अनुमति दी गई है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा प्रस्तुत वार्षिक सूची के आधार पर, सीपीसीबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित तैयार की गई राष्ट्रीय सूची के अनुसार, 12 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में स्थित संस्थाओं द्वारा लगभग 3.78 लाख मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्टों का आयात किया गया था।

उक्त नियमों की अनुसूची VII के तहत, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को अन्य जिम्मेदारियों के साथ-साथ प्राधिकरण प्रदान करने और नवीकरण करने, इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करने और इन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का कर्तव्य सौंपा गया है। उक्त नियमों के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के बिना खतरनाक अपशिष्ट का आयात अवैध माना जाता है तथा उक्त नियमों की अनुसूची VII के अंतर्गत बंदरगाहों और सीमा शुल्क प्राधिकरणों को भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत उल्लंघन के लिए आयातक या निर्यातक के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

*****